मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २५ सन् २०२१

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०२१

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११ का संशोधन.

२. महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१)की धारा ११ में,—

(एक) उपधारा (१) में,—

(क) खण्ड (१) में, शब्द "कुलाधिपति" के स्थान पर, शब्द "कुलपति" स्थापित किया जाए;

(ख) खण्ड (३) में, शब्द "कुलपति तथा" का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "कुलाधिपति" के स्थान पर, शब्द "कुलपति" स्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) की धारा ११ की उपधारा (१) के खण्ड (१) में यह उपबंधित है कि कुलाधिपति बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा. यतः समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों में यह उपबंधित है कि संबंधित विश्वविद्यालय का कुलपति कार्य परिषद/बोर्ड का अध्यक्ष है. अतएव, शासकीय विश्वविद्यालयों के समस्त अधिनियमों के अनुसार मूल अधिनियम की धारा ११ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. मोहन यादव
भारसाधक सदस्य.

भोपाल :
तारीख : ४ अगस्त, २०२१.

उपाबंध

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९१ (क्रमांक ९ सन् १९९१) से उद्धरण.

* * * *

धारा ११ (१) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलाकर बनेगा:—

(१) कुलाधिपति—पदेन अध्यक्ष

(२) आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसका नाम निर्देशित जो अपर संचालक, उच्च शिक्षा के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो.

(३) कुलपति तथा प्रतिकुलपति

(४) राज्य के शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि और वित्त विभाग के शासन सचिव या उनके नाम निर्देशित जो उपसचिव से निम्न पद श्रेणी के न हों.

(५) कृषि, ग्रामीण विकास या शिक्षा की पृष्ठभूमि वाले दो विख्यात वैज्ञानिक जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे.

(६) दो प्रगतिशील किसान जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे.

(७) (एक) कृषि या ग्रामीण विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला एक विशिष्ट अद्योगपति या विनिर्माता जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(दो) एक प्रतिभाशील महिला सामाजिक कार्यकर्ता अधिमानत: जो ग्रामीण उन्नति संबंधी पृष्ठभूमि रखती हो और जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट की जायेगी.

(तीन) एक विख्यात इंजीनियर जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(चार) एक विख्यात शिक्षाविद् जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(पांच) लघु या ग्रामीण उद्यागों का एक प्रतिनिधि जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(८) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि.

(९) दीनदयाल शोध्य संस्थान का एक प्रतिनिधि.

(१०) एक संकायाध्यक्ष/निदेशक ज्येष्ठता क्रम से बारी बारी से.

(११) एक विख्यात चिकित्साविद् जिसे देशी औषधियों में विशिष्टता प्राप्त हो और जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(१२) एक प्रतिभाशाली विधिज्ञ जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा.

(२) कुलाधिपति बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलसचिव बोर्ड का सदस्य सचिव होगा.

(३) पदेन सदस्यों को छोड़कर बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और कोई सदस्य अधिकतम दो कार्यकाल तक सेवा करने का पात्र होगा.

(४) किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व कोई रिक्त होने की दशा में उसका उत्तराधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा जो उसके असमाप्त कार्यकाल के शेष भाग में सेवारत् रहेगा.

(५) बोर्ड के सदस्य विश्वविद्यालय से कोई मानदेय, ऐसे दैनिक और यात्रा भत्तों को छोड़कर जो कि विहित किये जायें, प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे.

* * * *

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.